न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./201/19/टोंक (2019/00201)

विभागीय अपील द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल सुनारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 12/22–10–1999 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (with comulative effect)से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल सुनारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक।

निर्णय

दिनांकः– 30.12.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक के आदेश दिनांक 12/22–10–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 10–11–1997 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

आप श्री दिनेश कुमार पारीक, जब पटवार मण्डल सुनारी तहसील निवाई में पदस्थापित थे, तब लघु सिंचाई संगणना वर्ष 1993–94 दिनांक 25–6–1997 को सांयकाल 5 बजें तक तैयार कर प्रस्तुत नहीं की जबकि इस कार्यालय के अर्द्ध शा0 पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 5–5–97 के निर्देशानुसार यह अनुसूचियां दिनांक 7–3–97 तक विशेषाधिकारी, कृषि गणना जयपुर को भिजवायी जानी थी। भू–अभिलेख निरीक्षक वनस्थली द्वारा आपसे बार–बार तकाजा करने के उपरान्त भी आप द्वारा उक्त कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई। भू–अभिलेख निरीक्षक वनस्थली द्वारा तहसीलदार निवाई को आप द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के क्रम में दिनांक 24–6–97 एवं 25–6–97 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर

तहसीलदार निवाई द्वारा आपको व्यक्तिशः बार–बार बुलवाया गया किन्तु न तो 25–6–97 तक लघु सिंचाई संगणना का कार्य ही पूर्ण किया न ही तहसीलदार निवाई के समक्ष उपस्थित हुए। राजकार्य के प्रति बरती गई उक्त उदासीनता एवं आदेशों की अवहेलना के लिए आप दोषारोपित है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 22–10–1997 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 16–7–99, 28–7–99 एवं 12–10–99 नियत की गई। उक्त पेशियों पर अपचारी कर्मचारी अनुपस्थित रहा। तत्पश्चात जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 631/10–5–1999 में अपने निष्कर्ष में अंकित किया कि अपचारी कार्मिक दिनांक 25–6–97 को अपने हलके में नहीं पाये गये दैनिक डायरी भी अपचारी कर्मचारी द्वारा संधारित नहीं की गई तथा बार–बार नोटिस देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। मार्गदर्शन मांगे जाने संबंधी कोई दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी पर आरोप पूर्णतया सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (with commulative effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक के उक्त दण्डदेश क्रमांक भूअ./एफ–4(1) निल./97/7351 दिनांक 12/22–10–97 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया।

अपचारी पटवारी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर पक्ष रखते हुए कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्य वाही करते हुए प्रार्थी की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। प्रार्थी को प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त समय के अन्दर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाई गई। प्रार्थी की सेवा में नियुक्ति के दौरान पिता की मृत्यु हो जाने के कारण एवं अपने पांच भाई बहनो के लम्बे समय सेबीमार रहने एवं अपनी माताजी की सेवा में निरन्तर लगे रहने के कारण अपील करने का ध्यान नहीं दे पाया। उक्त सम्पूर्ण अवधि में प्रार्थी के अधिकांश रूप से बीमार रहने के कारण बार–बार चिकित्सा अवकाश पर भी रहा है जिसकी पुष्टि सेवा पुस्तिका के इन्द्राज

से की जा सकती है। प्रार्थी के एक मात्र संतान के रूप में (पुत्र) होने के कारण परिवार में अन्य कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक जिम्मेदारी प्रार्थी द्वारा ही निभाई जाती है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी के द्वारा मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं कार्मिक विभाग जयपुर द्वारा प्रेषित आदेशों एवं परिपत्रों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपचारी पटवारी द्वारा सुनवाई के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या एक के संबंध में कथन किया कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 13 में अंकित किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी या कोई भी अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी है। यह सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा आदेश दिनांक 26–6–1997 को निलंबित किया गया है। उक्त निलंबन आदेश का नियुक्ति अधिकारी से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया। इसी कारण नियुक्ति अधिकारी, जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निलंबन आदेश पर पुनः विचार कर कार्मिक को बहाल करते हुए पदस्थापन किया गया। विभागीय जांच की पत्रावली के पैरा संख्या 6 में अंकित सदर कानूनगों की टिप्पणी से स्पष्ट है कि लघु सिंचाई गणना का कार्य पूर्ण कर तहसील कार्यालय के पत्रांक 2807 दिनांक 26–6–1997 को विशेषाधिकारी, कृषि गणना जयपुर को भिजवाया जा चुका था।

अपचारी पटवारी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पटवार मण्डल सुनारी की लघु सिंचाई गणना का कार्य दिनांक 25–6–1997 को पूर्ण किया जाकर तहसील में प्रस्तुत किया जा चुका था। पत्रावली में इस बाबत कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25–6–1997 को लघु सिंचाई गणना प्रस्तुत करने पर भी दिनांक 26–6–1997 को उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा निलंबन किया गया है जबकि उसी उपखण्ड कार्यरत तहसील पीपलू के पटवारी द्वारा दिनांक 26–6–1997 के उपरान्त लघु सिंचाई गणना का कार्य पूर्ण करने पर भी कोई कार्यवाही उनके विरूद्ध नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध भेदभाव पूर्ण पक्षपात करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि जिस अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच की जावेगी

उस अधिकारी को इस प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा प्राथमिक जांच की गई है तथा जांच अधिकारी भी उनको ही नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने प्रस्तुत जांच में ऐसे कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25–6–1997 को लघु सिंचाई गणना प्रस्तुत नहीं की गई। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि लघु सिंचाई गणना वर्ष 1993–94 पटवार मण्डल सुनारी का कार्य किसी अन्य पटवारी से करवाया है तथा कार्य के नीचे हस्ताक्षर प्रार्थी के कराये गये है जबकि कार्य अन्य पटवारी से करवाया गया तो हस्ताक्षर भी अन्य पटवारी के ही होने चाहिए थे जबकि वास्तविकता में लघु सिंचाई गणना का कार्य प्रार्थी द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाकर दिनांक 25–6–1997 को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई थी। जिसका मानदेय प्रार्थी द्वारा दिनांक 21–3–1998 को 500/– रूपयें प्राप्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट सारहीन एवं तथ्यहीन है। ऐसी स्थिति में दोषयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पारित दण्डादेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 12/22–10–99 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 5642 दिनांक 27–8–2019 से अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा प्रार्थी को निलंबित किया गया है जो सही है। अपीलांट को उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निलंबित किया गया है। राजस्थान सरकार ने नियमों में उपखण्ड अधिकारियों को पटवारियों के विरूद्ध नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं निलंबित करने के अधिकार दिये गये है।

अपीलार्थी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलार्थी के द्वारा कृषि गणना का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक सभा में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करने एवं आदेशों की अवहेलना करने के फलस्वरूप निलंबित किया गया तथा नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोप पत्रादि दिये गये है। विभागीय जांच की पत्रावली के पैरा 6 में अंकित कथन सत्य है किन्तु पैरा संख्या 11 के अनुसार अपचारी पटवारी द्वारा अंकित यह तथ्य सही नहीं है कि उसने गणना कार्य पूर्ण कर लिया था परन्तु मिलान खसरा में अंकित कुंए एवं लघु सिंचाई गणना में आए कुंओं के आंकड़ों में भिन्नता से जिस संबंध में मार्गदर्शन भी भू–अ.निरीक्षक से चाहा गया था जिससे उक्त गणना रिकार्ड प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ तथा भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार के

बार–बार कहने के उपरान्त भी न कार्य पूर्ण किया न ही वह आया। भू.अ.निरीक्षक ने अन्य सहयोगी पटवारियों से उक्त कार्य पूर्ण करवाया था।

अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं है कि उपखण्ड अधिकारी टोंक ने प्राथमिक जांच नहीं की है। अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है। उपखण्ड अधिकारी टोंक को सीसीए नियम 16(4) के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपीलार्थी को पूर्ण सनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया है जिसमें अपीलार्थी पर आरोप पूर्णतः सिद्ध माना है। तहसीलदार, निवाई ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 30–7–1997 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि तहसील क्षेत्र के सभी पटवार मण्डलों का कृषि गणना का कार्य पूर्ण हो जाने पर भी अपीलार्थी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया। इस कार्य हेतु उसे बुलाने पर वह तहसील में भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कार्य पूर्ण किया। इस कारण अन्य पटवारी से उक्त कार्य करवाया गया। उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा सीसीए नियमों के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को निलंबित किया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध जांच अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच करने के उपरान्त ही अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विभागीय जांच का निर्णय पारित किया गया है। अपचारी कर्मचारी को अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर भू.अ. निरीक्षक द्वारा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दण्डादेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपचारी पटवारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी पटवारी पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा कृषि संगणना कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विशेषाधिकारी, कृषि गणना जयपुर को रिपोर्ट भिजवाने में विलम्ब हुआ है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि पटवार मण्डल सुनारी की लघु सिंचाई गणना का कार्य दिनांक 25–6–1997 को पूर्ण किया जाकर तहसील में प्रस्तुत किया जा चुका था जबकि उसी उपखण्ड में कार्यरत तहसील पीपलू के पटवारी द्वारा दिनांक 26–6–1997 को लघु सिंचाई

गणना का कार्य पूर्ण करने पर उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25–6–1997 को लघु सिंचाई की गणना प्रस्तुत नहीं की गई। जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि लघु सिंचाई गणना वर्ष 1993–94 पटवार मण्डल सुनारी का कार्य किसी अन्य पटवारी से करवाया गया है तथा कार्य के नीचे हस्ताक्षर प्रार्थी के करवाये गये है। जबकि जिस पटवारी के द्वारा कार्य किया गया है उसी के हस्ताक्षर होने चाहिए। जबकि वास्तविकता में लघु सिंचाई गणना का कार्य अपीलार्थी द्वारा किया गया था तथा हस्ताक्षर भी अपीलार्थी के द्वारा ही किये जाकर रिपोर्ट दिनांक 25–6–1997 को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा लघु सिंचाई गणना वर्ष 1993–94 में किये गये कार्य का मानदेय राशि रूपये 500/– रूपये का भुगतान उठाया गया है तथा अन्य पटवारियों ने भी देरी से सूचना प्रस्तुत की थी परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध ही कार्यवाही की गई है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। तत्समय लगभग 15 दिन पटवारियों की हड़ताल थी बाद में सभी पटवारियों ने कार्य किया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कृषि गणना का कार्य स्वयं के द्वारा किया गया है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि अपचारी पटवारी पर एक आरोप लगाया गया है जिसमें उक्त कार्य समय पर नहीं करने एवं बार–बार बुलाने पर नहीं आने का अंकन है जबकि जांच अधिकारी तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने जांच में यह स्पष्ट किया है कि उक्त पटवारी का कार्य अन्य पटवारियों से करवाकर हस्ताक्षर आरोपित पटवारी से करवाये गये। यह तथ्य नितान्त अनुचित है कि कार्य अन्य से करवाकर हस्ताक्षर उसी पटवारी से करवाये। अगर अन्य पटवारियों ने कार्य किया था तो हस्ताक्षर उन्हीं पटवारियों के करवाये जाने चाहिए थे। इसी तरह यह कथन भी विरोधाभासी है कि पटवारी बार–बार बुलाने पर भी नहीं आया। अगर पटवारी नहीं आया तो फिर रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर कराना कैसे संभव है।

उपखण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट में लघु सिचांई संगणना समय पर नहीं करने का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है परन्तु निष्कर्ष में दैनिक डायरी घटना बही में पिलाई, खतौनी का कार्य नहीं करना एवं दैनिक डायरी नहीं भरना सिद्ध माना है जो कि आरोप में अंकित ही नहीं है। इस प्रकार आरोप से भिन्न निष्कर्ष जांच रिपोर्ट में देना उचित नहीं है। अतः कार्मिक पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता है। जिला कलक्टर भू.अ. टोंक ने उपखण्ड अधिकारी, टोंक की जांच रिपोर्ट के आधार पर दण्डादेश पारित किया तथां अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम

1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (With Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 12/22–10–1999 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 12/22–10–1999 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: